

**Information Handbook
under Right to Information Act-2005**

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत
हस्त-पुस्तिका

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय

संचालनालय
भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी
मध्यप्रदेश

अध्याय—1

प्रस्तावना

1.1 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की पृष्ठ भूमि ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत सरकार द्वारा आम जनता को लोक प्राधिकरणों के स्वरूप व कार्यों की सूचना आम जनता को सुलभ कराने की दृष्टि से एवं शासकीय कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया है, जिसके तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा यह हस्त पुस्तिका विभाग के अधीन संचालित विभागाध्यक्ष कार्यालयों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं के स्वरूप तथा उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की सूचनाओं को प्राप्त करने की सुविधा व शक्ति की सूचना प्रदान करने की दृष्टि से जारी की गई है। इस पुस्तक में दी गई जानकारी द्वारा एवं सूचना के अधिकार का प्रयोग कर हम चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीनस्थ संचालनालय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी म0प0 तथा उसके अधीनस्थ संचालित आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथी पद्धति की संस्थाओं के स्वरूप एवं गतिविधियों के संबंध में जान सकते हैं ।

1.2 हस्तपुस्तिका कें उद्देश्य—

सार्वजनिक मामलों में सम्पूर्ण पारदर्शिता बरतने के लिये भारतीय संविधान के उपबंधों के अंतर्गत जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जनता की आकांक्षा के अनुरूप शासन द्वारा संचालित नीतियों/कार्यक्रमों को प्रत्येक नागरिक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से यह हस्त पुस्तिका लोक हित में जारी की गई है।

1.3 यह पुस्तिका किन व्यक्तियों, संस्थानों/संगठनों इत्यादि के लिये उपयोगी है।

यह पुस्तिका चिकित्सा शिक्षा विभाग/संचालनालय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी/आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा पद्धतियों को महाविद्यालय, चिकित्सालय, औषधालय, फार्मसी/आयुर्वेद तथा यूनानी पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड/राज्य होम्योपैथी परिषद के अधिकारी, कर्मचारी एवं आम जनता के उपयोगार्थ है।

1.4 विभागीय जानकारी का प्रारूप—

- 1— आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा पद्धतियों की शिक्षा व प्रशिक्षण ।
- 2— आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सालयों (अंतरंग रोगी सुविधायुक्त) की स्वास्थ्य सेवा ।
- 3— चिकित्सालयों एवं औषधालयों में बाह्यरोगी सेवा ।

- 4- आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति की शासकीय औषधि निर्माणशाला के कार्य ।
- 5- आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में चिकित्सा व्यवसायियों के पंजीकरण संबंध कार्य ।
- 6- राज्य होम्योपैथी परिषद में होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवसायियों के पंजीकरण संबंधी कार्य ।
- 7- संचालनालय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी म0प्र0 के स्तर पर अधीनस्थ संस्थाओं से संबंधित ऐसे विषय जिनका संबंध विभागाध्यक्ष कार्यालय से हो, का निराकरण जैसे- नियुक्ति, पदस्थापना, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, निवृत्ति, पदोन्नति, सामान्य भविष्य निधि, प्रतिनियुक्ति, दण्ड, अभ्यावेदन, सेवानिवृत्ति पश्चात् अवकाश नगदीकरण आदि ।

1.5 पुस्तिका में प्रयुक्त शब्दावली की परिभाषाएँ ।

अध्याय 1 के नियम 2 (अ) में वर्णित शासन से आशय मध्यप्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग से हैं ।

नियम 2 (ब) में वर्णित लोक सूचना अधिकारी से आशय नियम 5 के उपनियम (2) से हैं ।

नियम 2 (इ) में वर्णित काम्प्यूटेन्ट आथोरिटी से आशय प्रथम अपीलीय अधिकारी से हैं ।

1.6 पुस्तिका में समायोजित विषयों की विस्तृत जानकारी के लिये सम्पर्क व्यक्ति ।

प्रशासकीय अधिकारी संचालनालय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी,म.प.-“बी” विंग अपर बेसमेंट सतपुड़ा भवन, भोपाल, दूरभाष क्रमांक-0755-2571187

1.7 पुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अलावा सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क

इसकी जानकारी 1.6 में वर्णित अधिकारी से दूरभाष पर सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है ।

अध्याय-2

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य व कर्तव्य

- 2.1 लोक प्राधिकरण (संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, म०प्र०) के उद्देश्य- आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों की स्वास्थ्य सेवाओं व चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रमों का संचालन व नियंत्रण ।
- 2.2 संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, म०प्र० का मिशन/विजन- देश और प्रदेश की जनता की खुशहाली व स्वास्थ्य व चिकित्सा हेतु आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों की सेवाओं को सुलभ बनाना इन सेवाओं के लिए इन पद्धतियों की स्तरपूर्ण चिकित्सा शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध कराना ।
- 2.3 संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, म०प्र० का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग- भारतीय चिकित्सा पद्धतियों एवं होम्योपैथी की सेवाओं को सुव्यवस्थित संचालन तथा उन्हें बढ़ावा देने की दृष्टि से संचालनालय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी म०प्र० की स्थापना वर्ष 1977-78 में की गई इसके पूर्व म०प्र० में आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों की संस्थायें संचालनालय स्वास्थ्य के अधीन संचालित थी । 15 जून 1995 से चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत है ।
- 2.4 संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, म०प्र० के कर्तव्य- विभाग की निम्नलिखित संस्थाओं पर प्रशासनिक , वित्तीय, अनुशासनिक नियंत्रण-
- 1- समस्त शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय ।
 - 2- प्रदेश के 48 जिला कार्यालय एवं 30 आयुर्वेद/होम्योपैथी चिकित्सालयों पर नियंत्रण ।
 - 3- आयुर्वेद,यूनानी,होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की स्वास्थ्य सेवायें प्रदाय ।
 - 4- नवीन आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधालय, चिकित्सालय खोलने संबंधी कार्यवाही एवं उन्नयन, नियंत्रण ।
 - 5- स्वशासी तथा निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी (40) महाविद्यालयों में प्रवेश संबंधी कार्यवाही, निरीक्षण, उन्नयन एवं नियंत्रण ।
 - 6- शासकीय चिकित्सालयों, औषधालयों तथा स्वशासी महाविद्यालयों, चिकित्सालय हेतु शासकीय आयुर्वेद/यूनानी फार्मसियों में औषधियों का निर्माण एवं प्रदाय ।
 - 7- म०प्र० आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड तथा राज्य होम्योपैथी परिषद के समन्वय कर, चिकित्सा व्यवसायियों पर नियंत्रण ।

- 8- शासकीय एवं निजी संगठनों द्वारा भारत सरकार की योजना विकसित करने के संबंध में प्रकरणों का परीक्षण ।
- 9- अधीक्षक, सह जिला आयुर्वेद अधिकारी, अधीक्षक शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, प्रधानाचार्य, शासकीय आयुर्वेद होम्योपैथी तथा यूनानी महाविद्यालयों के स्वशासी माध्यम से प्रदेश में विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों का प्रशासकीय नियंत्रण तथा पारदर्शिता एवं सूचना के अधिकार का क्रियान्वयन आदि ।
- 2.5 संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, म०प्र० के मुख्य कृत्य- आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों की स्वास्थ्य सेवाओं तथा शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन ।
- 2.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण- चिकित्सकीय कार्य, शिक्षण/प्रशिक्षण कार्य/औषधि निर्माण कार्य ।
- 2.7 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा संचालक, संयुक्त संचालक(आयुर्वेद), संयुक्त संचालक(होम्योपैथी), उपसंचालक

क्र०	संस्था का नाम	संख्या	कार्यालय प्रमुख
1	संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, म०प्र०	01	संचालक
2	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रीवा, बुनहानपुर	07	प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
3	शासकीय स्वशासी होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल	01	प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
4	शासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालय, भोपाल	01	प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
5	शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, ग्वालियर	01	अधीक्षक
6	शासकीय यूनानी फार्मसी, भोपाल	01	अधीक्षक
7	अधीक्षक सह जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय(प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक)	48	अधीक्षक सह जिला आयुर्वेद अधिकारी
8	म०प्र० आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल	01	रजिस्ट्रार
9	म०प्र० राज्य होम्योपैथी परिषद, भोपाल	01	रजिस्ट्रार

क्र०	संस्था का नाम	संख्या	कार्यालय प्रमुख
10	कार्यालय ड्रग कन्ट्रोलर (आयुष) म०प्र० (प्रस्तावित)	01	औषधि नियंत्रक (आयुष)
11	महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र राऊ/कोलारस	02	प्राचार्य
12	साहित्य अनुसंधान ईकाई ग्वालियर	01	रिसर्च ऑफिसर
13	वनौषधि अनुसंधान ईकाई ग्वालियर	01	बोटनिस्ट
14	ड्रग टेस्टिंग लेबोरेट्री ग्वालियर	01	प्रभारी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेट्री

2.8 लोक प्राधिकरण की कार्य दक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं—
रोगी कल्याण समिति, शिविरों में जनभागीदारी

2.9 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था— रोगी कल्याण समिति, शिविरों में जनभागीदारी

2.10 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था—
शिकायत कक्ष/जनशिकायत कक्ष

2.11 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते—

क्र०	संस्था का नाम	पता
1	संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, म०प्र०	अपर बेसमेंट "बी" विंग सतपुड़ा भवन, भोपाल
2	1—शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महावधालय, भोपाल	संयुक्त भवन परिसर, चूना भट्टी पहाड़ी, मेनिट कालेज के पीछे, भोपाल ।
	2— शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महावधालय, रीवा	रीवा
	3—शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महावधालय, उज्जैन	उज्जैन
	4—शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महावधालय, ग्वालियर	ग्वालियर
	5—शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महावधालय, इंदौर	इंदौर
	6—शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महावधालय, बुरहानपुर	बुरहानपुर
	7—शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महावधालय, जबलपुर	गोरखपुर—जबलपुर
3	शासकीय स्वशासी होम्योपैथी महावधालय, भोपाल	संयुक्त भवन परिसर, चूना भट्टी पहाड़ी, मेनिट कालेज के पीछे, भोपाल ।
4	शासकीय स्वशासी यूनानी महावधालय, भोपाल	संयुक्त भवन परिसर, चूना भट्टी पहाड़ी, मेनिट कालेज के पीछे, भोपाल ।
5	शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, ग्वालियर	आमखो—ग्वालियर
6	शासकीय यूनानी फार्मसी, भोपाल	मारवाड़ी रोड, भोपाल
7	अधीक्षक सह जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय	जिला मुख्यालय पर

8	म0प्र0 आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल	बेतवा अपार्टमेंट रोशनपुरा चौराहा भोपाल
9	म0प्र0 राज्य होम्योपैथी परिषद, भोपाल	जोन-2, एम.पी. नगर भोपाल
10	कार्यालय ड्रग कन्ट्रोलर (आयुष) म0प्र0 (प्रस्तावित)	अपर बेसमेंट "बी" विंग सतपुड़ा भवन, भोपाल
11	महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र राऊ/कोलारस	राऊ इंदौर, कोलारस, जिला-शिवपुरी
12	साहित्य अनुसंधान इकाई ग्वालियर	शास.आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर परिसर में
13	वनौषधि अनुसंधान इकाई ग्वालियर	शास.आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर परिसर में
14	ड्रग टेस्टिंग लेबोरेट्री ग्वालियर	शास.आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर परिसर में

2.12 कार्यालयों के खुलने का समय- 10.30 प्रातः
कार्यालयों के बंद होने का समय- 5.30 सांय

- 2- महाविद्यालय- 10 से 5 तक
3- चिकित्सालय- प्रातः 8 से 12 तक
शाम- 4 से 6 तक
4 औषधालय- 9 से 4 तक

अध्याय-3 (मैनुअल-2)
अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

पद नाम- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, म०प्र०		
शक्तियां	प्रशासकीय	<ol style="list-style-type: none"> 1- अनुशासनात्मक, द्वितीय श्रेणी तक के शासकीय सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही के पूर्ण अधिकार 2- नवीन शैक्षणिक संस्थाओं का खोलना- संस्थाओं का निरीक्षण एवं अनुशंसा तक 3- शासकीय सेवकों की नियुक्ति के सम्पूर्ण अधिकार तथा उनके अवकाश, निलंबन, बहाली, पेंशन आदि के पूर्ण अधिकार 4- विभाग की अधीनस्थ समस्त संस्थाओं के निरीक्षण के सम्पूर्ण अधिकार
	वित्तीय	<ol style="list-style-type: none"> 1- केन्द्रीय सहायता अनुदान प्रकरणों पर अनुशंसा 2- औषधि क्रय सम्पूर्ण अधिकार 3- फर्नीचर में सम्पूर्ण अधिकार 4- उपकरण में 50.00 तक के अधिकार 5- वेतन भत्ते के सम्पूर्ण अधिकार
	अन्य	<ol style="list-style-type: none"> 1- स्वशासी शिक्षण संस्थाओं में सदस्य प्रतिनिधि 2- शहरी क्षेत्रों में भवन किराया सम्पूर्ण अधिकार 3- म०प्र० राज्य आयुर्वेदिक, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के बोर्ड एवं राज्य होम्योपैथी परिषद भोपाल पर प्रशासकीय नियंत्रण
कर्तव्य		<ol style="list-style-type: none"> 1- अधीनस्थ औषधालयों, चिकित्सालयों एवं महाविद्यालयों प्रशिक्षण केन्द्रों डी.टी.एल., ड्रग कन्ट्रोलन कार्यालय (आयुष) एवं अन्य अधीनस्थ संस्थाओं जैसे- अधीक्षक सह जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय, कम्पाउंडर एवं दाई प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रशासनिक नियंत्रण 2- क्रमांक-1 में वर्णित संस्थाओं का वित्तीय/बजट नियंत्रण

अध्याय-4 (मैनुअल-3)

कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

- 4.1 लोक प्रधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत कराएं (यह सूचना प्रत्येक अभिलेख के लिए पृथक से प्रस्तुत करें)

अभिलेख का नाम-	प्रशासकीय / वित्तीय / न्यायालयीन / कय अभिलेख
अभिलेख का प्रकार	निर्देशिका, अभिलेख, अन्य प्रशासकीय / वित्तीय / न्यायालयीन / कय अभिलेख

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

क्र.	नाम कार्यालय-पता	दूरभाष	फैक्स	ई.मेल / अन्य
1	संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, म0प्र0भोपाल	2571643	2760225	
2	अधीक्षक सह जिला आयुर्वेद अधिकारी			-
3	प्रधानाचार्य, शास.(स्व.)आयु. / होम्यो. / यूनानी महाविद्यालय कार्यालय			-
4	शासकीय आयुर्वेद / यूनानी फार्मसी ग्वालियर एवं भोपाल			-
5	प्रधानाचार्य, शास. / आयु. / होम्यो. / यूनानी महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय			-
6	जिला आयुर्वेद चिकित्सालय			-
7	महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र राऊ इंदोर / कोलारस शिवपुरी			-
8	जिले के अधीनस्थ औषधालय			-
9	म0प्र0 आयुर्वेद, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का बोर्ड भोपाल	2553731		-
10	रजिस्ट्रार राज्य होम्योपैथी परिषद म0प्र0 भोपाल	2552629		-
11	साहित्य अनुसंधान ईकाई ग्वालियर	2322802	2320866	-
12	वनौषधि अनुसंधान ईकाई ग्वालियर	2322802	2320866	-
13	ड्रग टेस्टिंग लेबोरेट्री ग्वालियर	2322802	2320866	-
14	औषधि नियंत्रक कार्यालय भोपाल	2571187	2571187	

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

अध्याय-5 (मैनुअल-4)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधी से पराशर्म के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

नीति निर्धारण हेतु

- 5.1 क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधी की पराशर्म/भागीदारी का कोई प्रविधान है? यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है (हां/नही)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गयी व्यवस्था
1	रोगी कल्याण समितियाँ	जी हाँ	समिति में दो सदस्य जनता के प्रतिनिधि निर्धारित हैं ।

नीति के कार्यान्वयन हेतु-

- 5.2 क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति के कार्यान्वयन में जनता या जनप्रतिनिधी से/की परामर्श/भागीदारी का कोई प्राविधान है? यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है (हां/नही)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गयी व्यवस्था
नहीं			

अध्याय-6 (मैनुअल-5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्ग (केटेगरी) के अनुसार विवरण

- 6.1 लोक प्राधिकरण में पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी देने हेतु निम्न प्रारूप का प्रयोग करें। साथ ही यह भी बताएं की यह दस्तावेज कहां उपलब्ध रहते हैं जैसे कि सचिव स्तर पर, निदेशालय स्तर पर, अन्य (कृपया "अन्य" का उपयोग करने के स्थान पर स्तर का उल्लेख करें)

क्र. सं.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक/नियंत्रक
1		प्रशासनिक	अधिनियम-05 में निर्धारित अनुसार	विभिन्न स्तरों के कार्यालय प्रमुख
2		वित्तीय	अधिनियम-05 में निर्धारित अनुसार	विभिन्न स्तरों के कार्यालय प्रमुख
3		कय संबंधी	अधिनियम-05 में निर्धारित अनुसार	विभिन्न स्तरों के कार्यालय प्रमुख
4		न्यायालयीन दस्तावेज	अधिनियम-05 में निर्धारित अनुसार	विभिन्न स्तरों के कार्यालय प्रमुख

अध्याय-7 (मैनुअल-6)

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

7.1 कृपया लोक प्राधिकरण से संबद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों, एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रारूप के आधार पर दे।

- संबद्ध स्थान का नाम एवं पता

1	मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति बोर्ड	
2	राज्य होम्योपैथी परिषद	
3	1—स्वशासी समिति 2—कय समिति 3—दाखिला समिति 4—निरीक्षण समिति	

- संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)
- संबद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य) क. 1 एवं 2 बोर्ड/परिषद कर्तव्य—चिकित्सा का व्यवसायिक पंजीकरण ।
- संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री / प्रबंधकारिणी / कार्यकारिणी / अन्य) कार्यकारिणी
- स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य— 1— रजिस्ट्रार—
डा0 ए.डी.सिद्दीकी
म0प्र0राज्य आयुर्वेद यूनानी
प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड
2— रजिस्ट्रार—
डा0 आयशा अली
राज्य होम्योपैथी परिषद
जोन—1,एम.पी.नगर भोपाल
- मुख्यअधिकारी का नाम 1— रजिसट्रार—
डा0 ए.डी.सिद्दीकी
म0प्र0राज्य आयुर्वेद यूनानी
प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड
2— रजिस्ट्रार—
डा0 आयशा अली
राज्य होम्योपैथी परिषद
जोन—1,एम.पी.नगर भोपाल

- मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते
- बैठक की आवृत्ति— प्रावधानानुसार
- क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?— **जी नहीं**
- क्या बैठक में कार्यवृत्त तैयार की जाती है?— **जी हाँ**
- क्या जनता बैठक में कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हां, तो प्रक्रिया का विवरण दें। **जी नहीं**

अध्याय-8 (मैनुअल-7)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टयां

8.1 कृपया लोक प्राधिकरण में कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलैट अथोरिटी से सम्बंध में निम्न प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करें-

लोक प्राधिकरण का नाम :

सहायक लोक सूचना अधिकारी :

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष कार्या. निवास	फैक्स/ई-मेल	पता
1	डा0एम.के. बिरथरे	उप- संचालक	0755	का.2571187 मो.9425863289	2760225	भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, म0प्र0 सतपुड़ा भवन भोपाल

लोक सूचना अधिकारी :

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष कार्या. निवास	फैक्स/ई-मेल	पता
1	डा0व्ही. के. जैन	संयुक्त- संचालक	0755	का. 2571187 नि. 2779511	2760225	भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, म0प्र0 सतपुड़ा भवन भोपाल

विभागीय अपीलैट अथोरिटी :

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी कोड	दूरभाष कार्या. निवास	फैक्स ईमेल	पता
1	श्री ओमेश मूंदड़ा	संचालक	0755	का.2571643 नि.2430608	2760225	भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, म0प्र0 सतपुड़ा भवन भोपाल

अध्याय-9 (मैनुअल-8)

निर्णय लेने की प्रक्रिया

9.1 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए लोक प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है? (सचिवालय मैनुअल और बिजीनेस मैनुअल के नियमों, आदि का उपयोग किया जा सकता है।)

1- कार्यालयीन प्रक्रिया

2- एकल नस्ती प्रक्रिया

9.2 किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या हैं अथवा निर्णय लेने के लिए किसी-किस स्तरों पर विचार किया जाता है ?

म0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित नियम / अधिनियम / कार्यालयीन प्रक्रिया एवं एकल नस्ती प्रक्रिया अनुसार / निर्णय अधिकारी स्तर पर

9.3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था है?

डाक द्वारा / सूचना पटल पर उल्लेख / चस्पा द्वारा

9.4 विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है?

1-संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक,

वित्त अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, कनिष्ठ लेखा अधिकारी

2-प्रधानाचार्य, शासकीय आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय

3-अधीक्षक सह जिला आयुर्वेद अधिकारी

4-अधीक्षक शासकीय आयुर्वेद/यूनानी फार्मसी

9.5 अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारित अधिकारी।

9.6 मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण निर्णय लिया जाता है उसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करें।

क्र0सं0	
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	संबंधित विषय
दिश-निर्देश (यदि होतो)	
निर्णय लेने की प्रक्रिया	निर्धारित कार्यालयीन प्रक्रिया
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	कार्यालय प्रमुख
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, म0प्र0 सतपुड़ा भवन भोपाल

अध्याय-10 (मैनुअल-9)

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

10.1 कृपया जानकारी निम्न प्रारूप में जनपद वार दें।

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी कोड	दूरभाष कार्या. निवास	फैक्स ईमेल	पता
------	-----	-------	-----------------	-------------------------	---------------	-----

अध्याय-11 (मैनुअल-10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, म.प्र.

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पद	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषक पारिश्रमिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हों।
1	2	3	4	5
2	डा० विजय कुमार जैन, संयुक्त संचालक आयुर्वेद	14250	7695	—
3	डा० ए० पी० श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक	16500	8910	—
4	डा० वंशराज सिंह चौहान, प्र० संयुक्त संचालक होम्यो०	11950	6453	—
5	डा० मो. इमरान खान, उपसंचालक यूनानी	13575	7331	—
6	डा० एम० के० गोयल, सहायक संचालक आयुर्वेद	13900	7506	—
7	डा० एस० के० तिवारी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	12275	6629	—
8	श्रीमती कमला बनवीर, वित्त अधिकारी	8275	4469	—
9	श्री सत्येन्द्र भार्गव, कनिष्ठ लेखाधिकारी	8300	4482	—
10	श्री एस.एस.वर्मा, वरिष्ठ शीघ्रलेखक	9750	5265	—
11	श्री एन.सी. जोशी, स्टेनो	8300	4482	—
12	श्री रामसिंह दिवडे, स्टेनो	5625	3038	—
13	श्री प्यारेलाल शाक्य, मुख्य अंकेक्षक	7250	3915	—
14	श्री एस.सी. बजाज, अधीक्षक	7250	3915	—
15	श्री बी.पी. मैहर, सहायक अधीक्षक	7000	3780	—
16	श्री पी.एल. ओनकर, सहायक ग्रेड-1	6750	3645	—
17	श्रीमती शकुन्तला गौतम, सहायक ग्रेड-1	6250	3375	—
18	श्री जी.पी. पाठक, सहायक ग्रेड-1	5875	3173	—
19	श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-1	5750	3105	—
20	श्री जी.एस. रावत, सहायक ग्रेड-1	6000	3240	—
21	श्रीमती गोदावरी आसवानी, सहायक ग्रेड-2	5875	3173	—
22	श्री के.सी. सोन्तानी, लेखापाल	6125	3308	—
23	श्रीमती शोभा पिल्ले, सहायक ग्रेड-2	6000	3240	—
24	श्री ईश्वरलाल सावलानी, सहायक ग्रेड-2	6250	3375	—
25	श्री जे.एल. मुखरैया, सहायक ग्रेड-2	5400	2916	—
26	कु. प्रतिमा दुबे, सहायक ग्रेड-2	4900	2646	—
27	श्री पीताम्बर तेजवानी, सहायक ग्रेड-2	4900	2646	—
28	श्री ओ.पी. पाराशर, सहायक ग्रेड-2	4800	2592	—
29	श्री बी.एल. माली, सहायक ग्रेड-2	4900	2646	—
30	श्री रफीक कुरैशी, सहायक ग्रेड-3	4900	2646	—

31	श्री डी.एन.दुबे, सहायक ग्रेड-3	4620	2495	—
32	श्री शरद श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड 3	4460	2408	—
33	श्री जमुना प्रसाद साहू, सहायक ग्रेड-3	4380	2365	—
34	श्रीमती एलिजाबेथ, सहायक ग्रेड-3	4540	2452	—
35	श्रीमती वंदना शर्मा, सहायक ग्रेड-3	4900	2646	—
36	श्री राजेश्वर सिंह, सहायक ग्रेड-3	4800	2592	—
37	श्री गणेश अग्रवाल, सहायक ग्रेड-3	4060	2192	—
38	श्रीमती रूबीना हनीफ, सहायक ग्रेड-3	3950	2133	—
39	श्रीमती वंदना गुरु, सहायक ग्रेड-3	3950	2133	—
40	श्री सतीश सोनी, सहायक ग्रेड-3	3950	2133	—
41	श्रीमती सती नरियानी, अंकेक्षक	6125	3308	—
42	श्री ओ.पी.माहुलिया, मुख्य लेखापाल	7000	3780	—
43	कु0स्नेहा निमजे, सहायक ग्रेड-3	3050	1647	—
44	श्री अमरसिंह मोरे, सहायक ग्रेड-3	3050	1647	—
45	श्री अरविन्द चतुर्वेदी, सहायक ग्रेड-3	3540	1912	—
46	श्री जितेन्द्र गोठवाल, सहायक ग्रेड-3	3050	1647	—
47	श्री किशनराव बरडे, भृत्य	3660	1976	—
48	श्री राजेन्द्र कुमार गामोट, भृत्य	3660	1976	—
49	श्री शेरसिंह, भृत्य	3800	2052	—
50	श्री भगवती प्रसाद भृत्य	3730	2014	—
51	श्री शिवनारायण भृत्य	3540	1912	—
52	श्री नारायण सिंह चौहान भृत्य	3540	1912	—
53	श्री महेन्द्र सिंह वर्मा, भृत्य	3540	1912	—
54	श्री हरिसिंह मेवाड़ा, चौकीदार	3540	1912	—
55	श्री महेश श्रीवास्तव, भृत्य	3410	1841	—
56	श्री जितेन्द्र नेरपगारे, भृत्य	2550	1377	—
57	श्री प्रहलाद थेटे, चौकीदार	3540	1912	—
58	श्री शरद श्रीवास,, वाहन चालक	4140	2236	—
59	श्री योगेन्द्र भारती, वाहन चालक	3875	2093	—
60	श्री रामचरण, वाहन चालक	4590	2479	—
61	श्री अबरार खां, भृत्य	3875	2093	—

अध्याय-12 (मैनुअल-11)

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

निर्माण, विकास, तकनीकी कार्य करने वाले लोक प्राधिकरणों के लिए

12.1 लोक प्राधिकरण के प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट की सूचना, जिसमें कि सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना हो, निम्न प्रारूप में दें-

वर्ष 2004-2005

क्र.	योजना योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारंभ होने की दिनांक	कार्य के समापन की अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट	शासन	कुल व्यय	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी
------	--------------------	-------	------------------------------	-----------------------------------	----------------	------	----------	---

मॉग संख्या- 79 चिकित्सा शिक्षा विभाग आयोजना (प्लान)

	योजना	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त	कुल व्यय 31.7.05 तक
02	460, आयु. चिकि. (प. खुशीलाल शर्मा के सम्बन्ध)	13.00	13.00	13.00	0.27
	461, आयुर्वेद प्रशासन(3 जिला कार्यालय)	7.97	7.97	7.97	3.11
	8699, होम्योपैथिक औषधालय	2.75	2.75	2.75	0.91
	8564, शास. यूनानी महा. की स्थापना	20.48	20.48	20.48	7.24
04	465, आयुर्वेद औषधालयों की स्थापना	33.28	33.28	33.28	15.86
05	469, आयुर्वेद महा.(प. खुशीलाल शर्मा)	111.00	111.00	111.00	32.57
	4195, आयुर्वेद महाविद्यालय का सुर्दीकरण	28.75	28.75	28.75	10.08
	6204, अशास. होम्यो. महा. को अनुदान	10.00	10.00	10.00	10.00
	8068, शास. होम्योपैथिक महाविद्यालय	94.30	94.30	94.30	41.54
	मॉग संख्या 79 का योग	321.53	321.53	321.53	121.58
	मॉग संख्या 41 एवं 64	57.54	57.54	57.54	0.00
	केन्द्रीय योजनाएँ	77.25	77.25	77.25	
	4210-निर्माण वृहद निर्माण हेतु	200.00	200.00	200.00	
	योग -	656.32	656.32	656.32	121.58

संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी
मध्य प्रदेश, भोपाल

(राशि लाखों में)

मॉग सख्या- 79 चिकित्सा शिक्षा विभाग
आयोजनेत्तर (नॉन प्लान)

क्र.	योजना	बजट 2007-08	पुनरीक्षित बजट 2007-08	व्यय (जनवरी 08 तक)
1	460, आयु. चिकित्सालय औषधालय	6417.06	6263.31	4652.91
2	461, आयु. प्रशासन(जिला कार्यालय)	379.40	385.60	241.85
3	4194, शास. आयु. फार्मसी, ग्वालियर	157.22	157.25	74.88
4	4286, संचालक आयु. प्रशासन	119.78	130.65	75.80
5	4810, होम्योपैथिक औषधालय	527.23	535.27	365.50
6	3613, शास. यूनानी फार्मसी भोपाल	48.40	52.06	25.13
7	4760, यूनानी औषधालय	265.81	256.60	184.26
8	8564, शास.यूनानी महाविद्यालय की स्थापना	35.59	45.57	24.70
9	469, आयुर्वेद महाविद्यालय	993.59	1010.17	698.31
10	8068 शास. होम्योपैथी महाविद्यालय	163.94	174.65	141.69
	योग -	9108.02	9004.13	6485.03

क्र.	योजना	बजट 2007-08	पुनरीक्षित बजट 2007-08	व्यय (जनवरी 08 तक)
1	461, आयु. प्रशासन का सुदृढीकरण (3 नवीन जिला कार्याल की स्थापना)	36.38	22.28	00.00
2	4286, संचालक एवं प्रशासन का सुदृढीकरण(संचालनालय/जिला कार्यालय हेतु कम्प्यूटर/वाहन एवं दूरभाष)	120.72	120.72	00.00
3	465, आयु. औषधालयों की स्थापना	177.96	177.96	81.00
4	6204, अशास. होम्यो. महाविद्यालय को अनुदान	15.00	15.00	15.00
8	8564, शास. यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की स्थापना	244.68	56.00	2.25
6	8068, शास. होम्यो. महाविद्यालयों में शैक्षणिक पदों का सृजन	68.00	20.68	00.00
7	469- 1. 7 आयु. महा. में पदों का सृजन । 197.00 2. पैरामेडिकल 233.12 3. अकादमी की स्थापना 20.00 4. ड्रग कंट्रोलर कार्या. 36.82 5. महिला प्रशि. केन्द्र 30.00 6. पं.खु. चिकि. एवं पीजी 140.31	657.26	157.26	10.90
8	4210-ब्रह्म निर्माण			
9	469,आयुर्वेद महाविद्यालय (पं.खुशी.शर्मा)	50.00	50.00	00.00
10	मांग संख्या 41	100.00	0	40.00
11	मांग संख्या 64	30.00	0	12.00
	महायोग -	1500.00	750.00	161.15

अध्याय-13 मैनुअल

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

13.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराएं।

- कार्यक्रम/योजना का नाम- केन्द्रीय सहायता अनुदान विभिन्न योजनायें
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा- वर्ष 2002-07
- कार्यक्रम का उद्देश्य-शासकीय अशासकीय संस्थाओं को प्रोत्साहन हेतु
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)
- लाभार्थी की पात्रता- शासकीय अशासकीय संस्थायें
- पूर्वापेक्षाएं- योजना विशेष में निर्धारित अनुसार
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया- निर्धारित प्रपत्रों में आवेदन द्वारा
- पात्रता निश्चित करने के लिए मानदण्ड- शासकीय अशासकीय
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान राशी का विवरण हो) केन्द्रीय योजना विशेष में निर्धारित अनुसार
- अनुदान/सहायता के वितरा की प्रक्रिया संबंधित संस्था को शासन के माध्यम से
- आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें -संचालनालय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, सतपुड़ा भवन भोपाल
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो)
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया इसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्ण करें) - योजनानुसार प्रारूप पर
- संलग्नकों की सूची -योजना विशेष के नियमानुसार
- संलग्नकों का प्रारूप - योजना विशेष के नियमानुसार
- प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां संपर्क करें - संचालनालय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, सतपुड़ा भवन भोपाल
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि)
- लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर)

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वर्द्धित	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला गांव	म. नं.
1		2	3	4	5	6	7	8
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. शाजापुर		35.00		भारत सरकार की योजना	शाजापुर	शाजापुर		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. भोपाल		35.00		भारत सरकार की योजना	भोपाल	भोपाल		

1	2	3	4	5	6	7	8
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. शिवपुरी	32.70		भारत सरकार की योजना	शिवपुरी	शिवपुरी		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. सीहोर	36.31		भारत सरकार की योजना	सीहोर	सीहोर		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. रतलाम	30.88		भारत सरकार की योजना	रतलाम	रतलाम		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. इंदौर	35.00		भारत सरकार की योजना	इंदौर	इंदौर		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. भोपाल (इंदिरा गांधी गैस राहत चिकित्सालय)	10.00		भारत सरकार की योजना	भोपाल	भोपाल		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. सागर	22.00		भारत सरकार की योजना	सागर	सागर		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. सागर	10.00		भारत सरकार की योजना	सागर	सागर		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. होशंगाबाद	35.00		भारत सरकार की योजना	होशंगाबाद	होशंगाबाद		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. दमोह	35.00		भारत सरकार की योजना	दमोह	दमोह		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. श्योपुर	35.00		भारत सरकार की योजना	श्योपुर	श्योपुर		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. सीधी	35.00		भारत सरकार की योजना	सीधी	सीधी		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. सिवनी	35.00		भारत सरकार की योजना	सिवनी	सिवनी		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. मंदसौर	35.00		भारत सरकार की योजना	मंदसौर	मंदसौर		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. नरसिंहपुर	35.00		भारत सरकार की योजना	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. जबलपुर	35.00		भारत सरकार की योजना	जबलपुर	जबलपुर		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. छिन्दवाड़ा	35.00		भारत सरकार की योजना	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. झाबुआ	35.00		भारत सरकार की योजना	झाबुआ	झाबुआ		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. रायसेन	35.00		भारत सरकार की योजना	रायसेन	रायसेन		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. रायसेन	30.00		भारत सरकार की योजना	रायसेन	रायसेन		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. दतिया	35.00		भारत सरकार की योजना	दतिया	दतिया		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. बड़वानी	35.00		भारत सरकार की योजना	बड़वानी	बड़वानी		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. बड़वानी	10.00		भारत सरकार की योजना	बड़वानी	बड़वानी		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. बड़वानी	10.00		भारत सरकार की योजना	बड़वानी	बड़वानी		

अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. बैतूल	10.00		भारत सरकार की योजना	बैतूल	बैतूल		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. बैतूल	10.00		भारत सरकार की योजना	बैतूल	बैतूल		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. रायसेन	10.00		भारत सरकार की योजना	रायसेन	रायसेन		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. रायसेन	10.00		भारत सरकार की योजना	रायसेन	रायसेन		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. रायसेन	10.00		भारत सरकार की योजना	रायसेन	रायसेन		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. रायसेन	10.00		भारत सरकार की योजना	रायसेन	रायसेन		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. रायसेन	10.00		भारत सरकार की योजना	रायसेन	रायसेन		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. रायसेन	10.00		भारत सरकार की योजना	रायसेन	रायसेन		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. रायसेन	10.00		भारत सरकार की योजना	रायसेन	रायसेन		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. रायसेन	10.00		भारत सरकार की योजना	रायसेन	रायसेन		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. रायसेन	10.00		भारत सरकार की योजना	रायसेन	रायसेन		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. विदिशा	10.00		भारत सरकार की योजना	विदिशा	विदिशा		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. बड़वानी	10.00		भारत सरकार की योजना	बड़वानी	बड़वानी		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. सागर	10.00		भारत सरकार की योजना	सागर	सागर		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. दतिया	10.00		भारत सरकार की योजना	दतिया	दतिया		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. दतिया	10.00		भारत सरकार की योजना	दतिया	दतिया		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. जबलपुर	10.00		भारत सरकार की योजना	जबलपुर	जबलपुर		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. जबलपुर	10.00		भारत सरकार की योजना	जबलपुर	जबलपुर		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. सीहोर	10.00		भारत सरकार की योजना	सीहोर	सीहोर		
अधीक्षक, सह जिला आयु. अधि. मंदसौर	10.00		भारत सरकार की योजना	मंदसौर	मंदसौर		
संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, भोपाल	243.00		भारत सरकार की योजना	भोपाल	भोपाल		
संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, भोपाल	124.50		भारत सरकार की योजना	भोपाल	भोपाल		
शास.आयु. महाविद्यालय, उज्जैन	150.00		भारत सरकार की योजना	उज्जैन	उज्जैन		

हकीम सैयद जिया उल हसन यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल	150.00		भारत सरकार की योजना	भोपाल	भोपाल		
शास.आयु. महाविद्यालय, उज्जैन	12.87		भारत सरकार की योजना	उज्जैन	उज्जैन		
शास.आयु. महाविद्यालय, उज्जैन	2.00		भारत सरकार की योजना	उज्जैन	उज्जैन		
शास.आयु. महाविद्यालय, उज्जैन	3.73		भारत सरकार की योजना	उज्जैन	उज्जैन		

अध्याय-14 (मैनुअल-13)

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा अधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

14.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराएं।

- कार्यक्रम का नाम – रियायते प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा अधिकार में से एक चुने)
- 1. छात्रों के शिक्षण शुल्क में रियायत 2. ग्रीनकार्ड धारी शासक सेवकों को स्वयं की आयु सीमा में छूट 3. आरक्षण कोटे के अर्न्तगत नियुक्तियां एवं पदोन्नति में छूट
- उद्देश्य – कर्मचारियों एवं छात्र संवर्ग को प्रोत्साहन
- लक्ष्य (विगत वर्षों में) –
- पात्रता – छात्र/ आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार एवं
- पात्रता का आधार – संभूत वर्गों के शासकीय कर्मको को दी गई
- पूर्वापेक्षाए प्राप्त करने की प्रक्रिया– शासकीय नियमानुसार
- रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिए निर्धारित
- समय सीमा– प्रतिवर्ष
- आवेदन शुल्क– निरंक
- आवेदन पत्र का प्रारूप – निर्धारित प्रारूप में
- संलग्नों की सूची – शासन द्वारा निर्धारित अनुसार
- संलग्नों का प्रारूप – शासन द्वारा निर्धारित अनुसार
- प्राप्तिकर्ताओं की सूची (निम्न प्रारूप पर)– आवेदन कर्ताओं के अनुसार

विभाग द्वारा पदत क्र.	प्राप्तिकर्ता का नाम	वैधता किस दिनांक तक है	वल्दियत	निवास			
				जिला	शहर	मोहल्ला गांव	म.नं.

रियायत के लिए निम्न जानकारी भी उपलब्ध कराएं

- दिये जाने वाले लाभ का विवरण
- लाभ के वितरण की प्रक्रिया

शासकीय नियमानुसार

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

- 15.1 लोक प्राधिकरण द्वारा अपने क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने मानक/नियमों का कार्यक्रमवार विवरण उपलब्ध करायें।

क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	विवरण
1.	नवीन आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय खोलना	भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद नई दिल्ली द्वारा न्यूनतम मापदण्ड
2.	चिकित्सा शिक्षा नियंत्रण	म0 प्र0 चिकित्सा शिक्षा नियंत्रण अधिनियम – 1973 संशोधित– 1975
3.	फार्मसी नियंत्रण	म. प्र. ड्रग एक्ट
4.	चिकित्सकों का व्यवसाय हेतु पंजीकरण	1.मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति बोर्ड 2. राज्य होम्योपैथी परिषद व्यवसायी अधिनियम– 1974
5.	नियम / उपनियम	1– म0 प्र0 चिकित्सा परिचर्या नियम 2– म0 प्र0 संविदा नियम 1999 3– म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1966 4– म. प्र. पेंशन नियम 5– म. प्र. मूलभूत नियम
6.	महाविद्यालयों का स्वशासी करण	स्वशासी बायलाज (उप नियम)

इलैक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

6.1 विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें जो कि इलेक्ट्रानिक फार्मेट में हो।

1. केन्द्रीय अनुदान कार्यक्रम
2. विभागीय सांख्यिकीय जानकारी
3. विभागीय बजट
4. सर्तकता समिति के फार्मेट

अध्याय-17 (मैनुअल-16)
सूचना प्राप्त करने लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

17.1 सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग/संगठन द्वारा की गयी व्यवस्था का विवरण जैसे :-

पुस्तकालय	
नाटक/नुक्कड़	
अखबारों के द्वारा	विज्ञापन द्वारा
अखबारों के द्वारा	1. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश/प्रशिक्षण विज्ञापन 2. औषधि क्रय टेंडर 3. स्थानांतरण सूचियों का प्रकाशन
प्रदर्शनी	
सूचना पटल	सूचना का अधिकांश सिटीजन चार्टर, सूचना पट्ट
अभिलेखों का निरीक्षण	व्यवस्था दी जावेगी।
दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था	अधीनस्थ 14 कार्यालयों के लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर शुल्क सहित आवेदन करने पर
उपलब्ध विभागीय मैनुअल	अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगा।
लोक प्राधिकरण की वेबसाईट	
अन्य प्रचार प्रसार के साधन	

अध्याय-18 (मैनुअल-17)

अन्य उपयोगी जानकारी

18.1 म0प्र0शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग(संचालनालय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, म0प्र0) से जनसामान्य की ओर पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर

जन मानस द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न	विभाग का उत्तर
भारतीय चिकित्सा पद्धतियां कौन-कौन सी हैं?	भारत में अत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित एवं विकसित चिकित्सा पद्धतियों में "आयुर्वेद" सर्वप्रमुख है, यह सम्पूर्ण भारत में प्रचलित है। आयुर्वेद से ही मिलती-जुलती दक्षिण भारत में प्रचलित चिकित्सा पद्धति का नाम "सिद्ध" है। अंशतः आयुर्वेद के ज्ञान पर आधारित एवं अंशतः यूनान में पैदा होने वाली वानस्पतिक औषधियों के समन्वयक से यूनान में विकसित तथा अत्यंत प्राचीन काल से भारत में प्रचलित "यूनानी" चिकित्सा पद्धति भी भारतीय चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्य की गयी है। इसके अतिरिक्त "प्राकृतिक चिकित्सा" एवं "योग" भी भारतीय चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्य है।
होम्योपैथी क्या है? एवं यह कहाँ विकसित हुई है?	होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का विकास प्रारंभिक रूप से जर्मनी में हुआ इसके मूल अविष्कारक चिंतक एवं विकासकर्ता जर्मनी के चिकित्सक सर सैम्यूल हेनीमन हैं, जो कि स्वयं एलोपैथी चिकित्सा पद्धति की उच्च शिक्षा प्राप्त चिकित्सक रहे हैं। चूंकि सामान्य रूप से एलोपैथी की औषधियां रोग के लक्षणों तथा उत्पादक कारणों के विपरीत लक्षण एवं प्रभाव पैदा करने की क्रिया क्षमता से युक्त होती हैं अतः इस पद्धति को एलोपैथी या एन्टीपैथी के नाम से जाना जाता रहा है। किन्तु होम्योपैथी का अविष्कार सामानता के सिद्धांत पर आधारित रहा है अर्थात् मूलरूप में बड़ी मात्रा में जो औषधियां जिस प्रकार के लक्षण व प्रभाव पैदा करती हैं वहीं औषधियां सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया से शक्तिकृत किये जाने के बाद अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में उसी प्रकार के (अर्थात् समान) लक्षण व प्रभाव को समाप्त करने की शक्ति रखती हैं एवं इस प्रकार समानता के सिद्धांत के आधार पर चुनी जाने पर होम्योपैथिक औषधियां शरीर की जीवनी शक्ति को बल प्रदान कर बिना हानि पहुंचाये रोग को दूर करने की सामर्थ्य रखती हैं इस कारण इस पद्धति का नाम होम्योपैथी रखा गया।

जन मानस द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न	विभाग का उत्तर
भारत सरकार के अंतर्गत इन पद्धतियों से संबंधित विभाग का क्या नाम है?	<p>भारत सरकार के अंतर्गत पूर्व में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत था। अब इस विभाग का नामकरण आयुष विभाग किया गया है। आयुष (।१११) विभाग मुख्यतः निम्नलिखित चिकित्सा पद्धतियों की शिक्षा एवं चिकित्सा सेवाओं के विकास, संचालन एवं नियंत्रण का कार्य करता है:—</p> <p>A- आयुर्वेद ल. योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा ॢ. यूनानी चिकित्सा पद्धति ॣ. सिद्ध चिकित्सा पद्धति ।. होम्योपैथी</p>
आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के कौन-कौन से पाठ्यक्रम म0प्र0में संचालित हैं?	<p>आयुर्वेद— बी.ए.एम.एस. (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी)</p> <p>यूनानी— बी.यू.एम.एस. (बैचलर ऑफ यूनानी मेडीसिन एण्ड सर्जरी)</p> <p>होम्योपैथी— बी.एच.एम.एस. (बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी)</p>
क्या म0प्र0एवं अन्य राज्यों में संचालित पाठ्यक्रमों में एकरूपता है अथवा कोई भिन्नता भी है?	<p>उपरोक्त पाठ्यक्रम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली तथा केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली द्वारा संबंधित अधिनियमों से प्राप्त शक्ति के तहत निर्धारित एवं मान्यता प्राप्त हैं अतः सम्पूर्ण भारत में वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों में एकरूपता है, किसी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं है।</p>
क्या इन पद्धतियों के डिप्लोमा पाठ्यक्रम अथवा पत्राचार पाठ्यक्रम भी संचालित हैं? एवं क्या इन्हें कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है?	<p>नहीं— ऐसे पाठ्यक्रम कई वर्ष पहले संचालित थे, किन्तु चिकित्सा शिक्षा के स्तर के उन्नयन की दृष्टि से वर्तमान में इन पद्धतियों के किसी भी डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम अथवा पत्राचार पाठ्यक्रम के संचालन की अनुमति नहीं है।</p>

जन मानस द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न	विभाग का उत्तर
इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश की क्या प्रक्रिया है?	इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश की न्यूनतम योग्यता हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण है प्रवेश के लिये म0प्र0व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्रतिवर्ष पाहुत के नाम से प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है एवं इसके उपरान्त राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये काउंसिलिंग का आयोजन किया जाता है। प्रवेश पाहुत परीक्षा की मेरिट के आधार पर दिया जाता है। 50प्रतिशत सीटों पर प्रवेश काउंसिलिंग के आधार पर एवं शेष 50प्रतिशत सीटों पर प्रवेश मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत निजी महाविद्यालयों में दिया जाता है शासकीय महाविद्यालयों में मैनेजमेंट कोटा का कोई प्रावधान नहीं है।
मान्यता प्राप्त महाविद्यालय का क्या अर्थ है?	इन पद्धतियों के महाविद्यालय संचालित करने के लिये राज्य शासन की अनुज्ञा, क्षेत्रीय विश्वविद्यालय की संबद्धता, म0प्र0शासन उच्च शिक्षा विभाग की अनापत्ति तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद / केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद की मान्यता अनिवार्य है। इनमें से किसी के भी अभाव में महाविद्यालय का संचालन अवैधानिक है।
इन चिकित्सा पद्धतियों के शासकीय अस्पतालों में औषधियों की व्यवस्था कैसे की जाती है।	प्रदेश में आयुर्वेद औषधियों तथा यूनानी औषधियों के निर्माण के लिये शासन की स्वयं की एक आयुर्वेदिक फार्मसी ग्वालियर में तथा एक यूनानी फार्मसी भोपाल में है इनमें उच्च स्तर की गुणवत्ता की आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों का निर्माण किया जाता है।

18.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में

- आवेदन पत्र (तथा सन्दर्भ के लिए एक भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति)
- शुल्क— निर्धारित अनुसार
- सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से मांगी जाये—कुछ टिप्स— निर्धारित आवेदन पत्र पर
- सूचना न देने व अपील करने के सम्बन्ध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया— प्रथम अपीलीय अधिकारी— संचालक भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, म0प्र0

18.3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के सम्बन्ध में

- कार्यक्रम का नाम व विवरण
- प्रशिक्षण कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा
- प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य

- प्रशिक्षण कार्यक्रम में भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)
- लाभार्थी की पात्रता
- पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो)
- अनुदान/सहायता (यदि हो तो)
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशी का विवरण हो)
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया
- आवेदन करने के लिए कहां/किससे संपर्क करें
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो)
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय कितनी बातों का वर्णन करें)
- संलग्नों की सूची
- संलग्नों का प्रारूप
- आवेदन करने की प्रक्रिया
- चयन प्रक्रिया
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारिणी (यदि हो तो)
- प्रशिक्षण के समय के बारे में आवेदक को सूचित करने का तरीका
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कार्य
- विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर इत्यादि पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों की सूची तथा अन्य विवरण

18.4 लोक प्राधिकरण द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि के सम्बंध में जो की मैनुअल 13 में न सम्मिलित हो

- प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि का नाम व विवरण
- प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने हेतु पात्रता
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो)
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)
- संलग्नों की सूची
- संलग्नों का प्रारूप
- आवेदन करने की प्रक्रिया

- आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा जारी की जाती है।)
- आवेदन की सारी प्रथमिकताएं सही तरह से पूरी करने के पश्चात प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रामाण पत्र, आदि जारी करने के लिए निर्धारित समय अवधि
- प्रमाण पत्र के प्रभावी रहने की सम सीमा (यदि हो तो)
- नवीनीकरण की प्रक्रिया (यदि हो तो)

18.5 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के संबंध में

- पंजीयन का उद्देश्य
- आवेदक की पात्रता
- पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो)
- आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो)
- आवेदन पत्र का प्ररूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)
- संलग्नों की सूची
- संलग्नों का प्ररूप
- आवेदन करने की प्रक्रिया
- आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा जारी की जाती है।)
- प्रभावी रहने की समय सीमा (यदि हो तो)
- नवीनीकरण की प्रक्रिया (यदि हो तो)

18.6 लोक प्राधिकरण द्वारा टेक्स लेने के सम्बन्ध में

- टेक्स का नाम व विवरण
- टेक्स लेने का उद्देश्य
- टेक्स निर्धारण करने के लिए मापदंड व प्रक्रिया
- बड़े () डिफ़ॉल्टर्स की सूची

18.7 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली बिजली/पानी के कनेक्शन, कनेक्शन को अस्थायी/स्थायी रूप से विच्छेदन, आदि के सम्बन्ध में (यह सूचना स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका/नगर परिषद्/ द्वारा दी जा सकती है।)

- आवेदक की पात्रता
- पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो)
- आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)
- अन्य शुल्क/देय (जहां उचित हो)
- आवेदन पत्र का प्ररूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)
- संलग्नकों की सूची
- संलग्नकों का प्ररूप
- आवेदन करने की प्रक्रिया
- आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है।)
- बिल में प्रयोग किये गये शब्दों का विवरण
- बिल तथा अन्य सेवाओं के संबंध में समस्या होने की स्थिति में सम्पर्क सूचना
- टेरिफ तथा अन्य देय

18.8 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण